

मूल वाद में शिर्षी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान


नाम	1. प्रताप उर्फ प्रजरा] मि० भाईराम
दावा बाबत :-	2. भातसिंह उर्फ भाताशम	
मुकदमा नम्बर :-	3. लीतूराम	
निर्णय दिनांक :-	4. राजाराम प्रजरा जलिये हकीमतचर भादरा	

वादी की ओर से वकील शु. श्रवण Hराज की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील सरवजीत डोर की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16/12/24 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रांही मौजा चक्र 8 NTR के खाला म० 56/58 के मु० न० 51 के खिस्तान 12, 13, 18, 19, 22 की कुल 1.1510 हे० में वादी नरपराम के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी म० 173 के नाम 1/2 हिस्सा राजाराम रिजॉर्ड में दर्ज थी। मुस्ताकिक राजीनामा वाद-वादी डीडी दिया जाता है। तस्दीक खुदा राजीनामा व रंगदार नक्शा को डीडी का भाग पका जावे। व इसी अनुसरत राजस्व रिजॉर्ड में प्रम 57 प्रजराशम का खाला-लगान प्रमग में प्रथम दिया जावे राजस्व रिजॉर्ड उकसर दिप जावे। यदि यदि भूमि बँड रहन हेत वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा अंशगत रहन को पयावर रखते हुए राजस्व रिजॉर्ड में अंशगत दिप जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुंतला चौधरी)
 R.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़